निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 ज्येष्ठ 1943 (श0)

(सं0 पटना 488) पटना, बृहस्पतिवार, 10 जून 2021

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

17 मार्च 2021

I¦E 5 u0fo0@xBu&49@2020&1330/uEfoE ,o vkEfoE— बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 11, 2007) (यथासंशोधित) की धारा 3 (1) (क), 4, 5, 6 एवं 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ शेखपुरा जिलान्तर्गत निम्न विवरणी के कॉलम 3 के अन्तर्गत पड़नेवाले क्षेत्रों को शामिल कर कॉलम 5 में यथावर्णित चौहद्दी के अन्तर्गत नगर परिषद् शेखपुरा का क्षेत्र विस्तार, जिसका प्रारूप विभागीय अधिसूचना संख्या–4349 दिनांक–26.12.2020 द्वारा पूर्व प्रकाशित है, प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक विचारोपरान्त नगर परिषद, शेखपुरा का क्षेत्र विस्तार करते हैं तथा उक्त अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को उक्त क्षेत्रों में लागू करते हैं :–

क्रमांक	नगर निकाय का नाम	सम्मिलित ग्रामों का नाम/थाना नं0	सम्मिलित ग्राम पंचायत का नाम	नगर निकाय की चौहद्दी (थाना नं0 सहित)
1	2	3	4	5
1	नगर परिषद, शेखपुरा	बजीदपुर 166 मटोखर 148 सुदासपुर 152 खोरमपुर 184 कुण्डा 183 पचना 221 धर्मपुर 164 पुरनकामा 156 रामरायपुर 165	कारे, पचना एवं हथियावॉ	उत्तर–रामरायपुर बाद टाटी नदी 165 दक्षिण–हुसैनाबाद 192 पूरब–बरूई गॉव 200 पश्चिम–धनौल मुसहरी 137

2. इस क्षेत्र को नगर परिषद शेखपुरा कहा जायेगा।

3. यह अधिसूचना तुरत प्रवृत्त होगी।

fcgkj&jkT;iky d vkns'k l]
vjfoUn dqekj >k
ljdkj d l;qDr lfpoA

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 488-571+200-डी०टी०पी०।
Website: http://egazette.bih.nic.in